

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है )

प्रस्ताव सं० :- F.P./UP/Trans/18048/2016

17. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और विशेष सिफारिशें।

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियां दी जानी चाहिए ।)

स्वीकृत की जाती है।



11/10/18

**Pankaj Misra** हस्ताक्षर  
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation और पदनाम  
U.P. Lucknow  
सरकारी मोहर

दिनांक : 11/10/18

स्थान :